

ऐतिहासिक / पुरातत्व धरोहर / रक्षा प्रतिष्ठान न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम/शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-1 में वन कक्ष क्रमांक आर-61, 62, 67 एवं वनखण्ड माही भाग-5 में वन कक्ष क्रमांक पी-79, एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ में वन कक्ष क्रमांक पी-150 के अन्तर्गत वर्ष 1980 के पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य मार्ग निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई भी सुरक्षित ऐतिहासिक/पुरातत्वीय स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम/शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-1 में वन कक्ष क्रमांक आर-61, 62, 67 एवं वनखण्ड माही भाग-5 में वन कक्ष क्रमांक पी-79, एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ में वन कक्ष क्रमांक पी-150 के अन्तर्गत वर्ष 1980 के पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य मार्ग निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि से किसी भी ग्रामवासियों का व्यवस्थापन नहीं किया जाना है।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

आवेदित वनक्षेत्र का घनत्व, प्रजाति, ईकोक्लास व गुणवत्ता श्रेणी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम/शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-1 में वन कक्ष क्रमांक आर-61, 62, 67 एवं वनखण्ड माही भाग-5 में वन कक्ष क्रमांक पी-79, एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ में वन कक्ष क्रमांक पी-150 के अन्तर्गत वर्ष 1980 के पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य मार्ग निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित वन क्षेत्र में कोई बहुमूल्य प्रजाति के वृक्ष होना नहीं पाया गया है। वनभूमि ईकोक्लास श्रेणी 5/ए.सी. का होकर 0.4 से भी कम घनत्व का वन क्षेत्र बी.एल-02/03 का होना पाया गया है।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

वन्यप्राणी गणना वर्ष 2018 के परिणाम

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम/शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-1 में वन कक्ष क्रमांक आर-61, 62, 67 एवं वनखण्ड माही भाग-5 में वन कक्ष क्रमांक पी-79, एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ में वन कक्ष क्रमांक पी-150 के अन्तर्गत वर्ष 1980 के पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य मार्ग निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित वन क्षेत्र में वर्ष 2018 में की गई वन्यप्राणी गणना में निम्नलिखित वन्यप्राणी के प्रमाण/साक्ष्य देखे गये :-

01) लोमड़ी 02) सियार 03) नीलगाय 04) लकड़बग्घा

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

सैलाना अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी दर्शाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम/शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-1 में वन कक्ष क्रमांक आर-61, 62, 67 एवं वनखण्ड माही भाग-5 में वन कक्ष क्रमांक पी-79, एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ में वन कक्ष क्रमांक पी-150 के अन्तर्गत वर्ष 1980 के पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य मार्ग निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित वनक्षेत्र से वन परिक्षेत्र सैलाना में स्थित सैलाना अभ्यारण्य क्षेत्र से लगभग 9.00 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जो ईको सेंसिटिव जोन 2 कि.मी. की परिधि में नहीं आता है।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

न्यूनतम वनक्षेत्र का उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम/शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-1 में वन कक्ष क्रमांक आर-61, 62, 67 एवं वनखण्ड माही भाग-5 में वन कक्ष क्रमांक पी-79, एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ में वन कक्ष क्रमांक पी-150 के अन्तर्गत वर्ष 1980 के पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य मार्ग निर्माण अंतर्गत वनभूमि में न्यूनतम वनक्षेत्र का उपयोग किया जावेगा, आवेदक विभाग द्वारा इस संबंध में विकल्प मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो आवश्यक नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

आवेदित क्षेत्रों में वृक्षों की गणना संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम/शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-1 में वन कक्ष क्रमांक आर-61, 62, 67 एवं वनखण्ड माही भाग-5 में वन कक्ष क्रमांक पी-79, एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ में वन कक्ष क्रमांक पी-150 के अन्तर्गत वर्ष 1980 के पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य मार्ग निर्माण अंतर्गत वनभूमि में निर्माण किये जाने वाले स्थल 3.376 हेक्टेयर वनभूमि में कोई भी बहुमूल्य प्रजाति के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अतः वृक्षों की जानकारी निरंक मान्य करें।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन संबंधी प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम/शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-1 में वन कक्ष क्रमांक आर-61, 62, 67 एवं वनखण्ड माही भाग-5 में वन कक्ष क्रमांक पी-79, एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ में वन कक्ष क्रमांक पी-150 के अन्तर्गत वर्ष 1980 के पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य मार्ग निर्माण अंतर्गत वनभूमि में निर्माण किये जाने वाले स्थल का चयन किया गया, आवेदक विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति में वनक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक पी-150 में लम्बाई 163 मीटर एवं चौड़ाई 5.50 मीटर सी.सी. मार्ग निर्माण कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन संबंधी कार्य किया गया। विभाग द्वारा आवेदक विभाग को लेख कर मार्ग निर्माण कार्य बंद कराया गया।

वनमण्डल अधिकारी
रतलाम

आवेदक संस्था के विरुद्ध बकाया राशि संबंधी प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम/शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-1 में वन कक्ष क्रमांक आर-61, 62, 67 एवं वनखण्ड माही भाग-5 में वन कक्ष क्रमांक पी-79, एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ में वन कक्ष क्रमांक पी-150 के अन्तर्गत वर्ष 1980 के पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य मार्ग निर्माण अंतर्गत आवेदक विभाग की पूर्व में किसी भी योजना में इस वनमण्डल की सी.ए./एन.पी.व्ही. संबंधी कोई राशि बकाया होना नहीं पाई गई।

वनमण्डल अधिकारी
रतलाम

दुर्लभ संकटापन्न फलोरा/फोना संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम/शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-1 में वन कक्ष क्रमांक आर-61, 62, 67 एवं वनखण्ड माही भाग-5 में वन कक्ष क्रमांक पी-79, एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ में वन कक्ष क्रमांक पी-150 के अन्तर्गत वर्ष 1980 के पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य मार्ग निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई भी दुर्लभ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति के कोई पेड़ पौधे नहीं है, तथा दुर्लभ प्रजाति का वन्य प्राणी होना नहीं पाया गया है।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

पंजीयन प्रोसेसिंग राशि संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम अन्तर्गत रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व से प्रचलित मार्ग का चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन करने हेतु प्रस्ताव में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, रतलाम द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से कुल रुपये 6000/- की राशि जमा कराया गया है। जिसमें पंजीयन शुल्क 1000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क 5000/- रुपये, जो शासन के राजस्व मद में ई-चालान क्रमांक 0406391/सी.आर.एन. नं. MPT040627012020000014 दिनांक 27-01-2020 से जमा किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्षतिपूर्ति वनीकरण संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम/शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-1 में वन कक्ष क्रमांक आर-61, 62, 67 एवं वनखण्ड माही भाग-5 में वन कक्ष क्रमांक पी-79, एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ में वन कक्ष क्रमांक पी-150 के अन्तर्गत वर्ष 1980 के पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य मार्ग निर्माण अंतर्गत शासन निर्देशानुसार प्रकरण में प्रभावित वनक्षेत्र 3.376 हेक्टेयर के एवज में ग्राम शेरपुर, तहसील पिपलौदा सर्वे न. 858 रकबा 3.376 हेक्टेयर गैर वनभूमि प्राप्त की गई है। जिसकी 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार कर प्रकरण के संलग्न प्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम